

राजस्थान सरकार  
गृह (गुप-12) विभाग

क्रमांक:- प.9(3)गृह-12/कारा/2015

जयपुर, दिनांक

30 NOV 2015

**आदेश**

यतः राज्य सरकार कारागार अधिनियम 1894 की धारा 3(1) के अन्तर्गत घोषित कारागार अलवर, जो कि राजस्थान कारागार नियम 1951 के भाग 6 के खण्ड 1 के क्रम संख्या 3 के अन्तर्गत जिला कारागृह "अ" श्रेणी की है, को उक्त नियमों के भाग 6 के खण्ड 1 क्रम संख्या 2 में कमोन्त कर केन्द्रीय कारागृह अलवर घोषित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

हो

(चेतन देवड़ा )

संयुक्त शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
3. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर।
4. जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर।
5. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को एक अतिरिक्त प्रति मय सॉफ्ट प्रति प्रकाशित कर अधिसूचना की दो प्रतियां इस विभाग को भिजवाने का श्रम करे।
6. अधीक्षक, जिला कारागृह, अलवर।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, गृह